संख्या-268/2022/आई/159173/41-1099/116/2021-165(सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 25 अप्रैल, 2022

विषय:-जनपद आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4576/SS/Heliport-Monitoring/44**,** दिनांक 12.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि विपुल पर्यटन-सम्पदाओं एवं असीम पर्यटन सम्भावनाओं से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों/आकर्षणों और पर्यटन सम्भावनाओं के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही पर्यटकों के सुविधार्थ अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है ताकि यहॉ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके। पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्थलों को वायुमार्ग से जोड़ने तथा ज्वायराईड हेतु हेलीपोर्ट के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों यथा-आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में हेलीपोर्ट के निर्माण की पहल की गयी है। अगले चरण में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड/हेलीपोर्ट का निर्माण प्राथमिकता के अनुरूप किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा जनपद आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-87/2018/1230/41-2018-16 (बजट)/2017, दिनांक 28-03-2018 के माध्यम से जनपद आगरा में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट हेतु रू0 494.65 लाख, मथुरा में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट हेतु रू0 494.65 लाख तथा प्रयागराज में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट हेतु रू0 494.65 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया और योजना की पूर्ण धनराशि लोक निर्माण विभाग को प्रदत्त कर दी गयी है। इन स्थलों पर हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं का अनुभव बेहतर होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर गतिविधियॉ बढ़ेगी, रोजगार के नये-नये अवसर सृजित होगें और लोगों का आर्थिक उन्नयन होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- जनपद आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल व अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण वर्ष पर्यन्त देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत हेलीपोर्ट का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पर्यटन अनुभाग के शासनादेश सं0-191/2018/4181/41-2018-16(बजट)/2017, दिनांक 13.12.2018 द्वारा आगरा में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप स्थित यूपीडा की 2.2656 हे0 भूमि उपयुक्त पायी गयी। यूपीडा के द्वारा उक्त भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है और पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित उक्त हेलीपोर्ट का प्रयोग पर्यटन गतिविधियों के अतिरिक्त यथा आवश्यकता यूपीडा के द्वारा अपने प्रयोजन हेतु भी किया जा सकेगा।

4- जनपद मथुरा व आस-पास के प्रमुख पर्यटन स्थलों/तीर्थ स्थलों के पर्यटकों/श्रद्धालुओं हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु 05 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी जिसे जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा तहसील गोवर्धन के राजस्व ग्राम-पैंठा में अपने आदेश दिनांक 04-10-2018 द्वारा पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है तथा उस पर प्रस्तावित हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है।

5- जनपद प्रयागराज पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है यहॉ प्रमुख रूप से माघ मेला के अतिरिक्त कुम्भ व महाकुम्भ का आयोजन होता है, जिसमें देश-विदेश के करोड़ों पर्यटन/श्रद्धालु आते हैं। पर्यटकों को अन्तराष्ट्रीय स्तर की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत हेलीपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद प्रयागराज स्थित ग्राम-सरॉय मौज उर्फ कीड़गंज उपरहार परगना व तहसील सदर स्थित भूमि उपयुक्त पायी गयी जिसे हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है जिस पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6- उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज में नवनिर्मित हेलीपोर्ट हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 28-03-2018 द्वारा स्वीकृत धनराशि तथा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित पुनः संशोधित आगणन निम्न तालिका के अनुसार है:-

क्र0सं0	जनपद	स्वीकृत धनराशि	संशोधित धनराशि
1	आगरा	494.लाख 65	805.लाख 53
2	मथुरा	494.लाख 65	824.लाख 36
3	प्रयागराज	494.लाख 65	1320.लाख 46

7- जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज में नवनिर्मित हेलीपोर्ट हेतु शासनादेश संख्या-87/2018/1230/41-2018-16 (बजट) /2017, दिनांक 28-03-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 में चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। विगत लगभग 04 वर्षो से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी कार्य पूर्ण नही हो सका है। प्रत्येक परियोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा लागत रू0 494.65 लाख अनुमोदित की गयी थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद आगरा के हेलीपोर्ट निर्माण की परियोजना हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 06-07-2021, मथुरा हेतु दिनांक 06-01-2020 तथा प्रयागराज हेतु दिनांक 29-05-2020 को प्रस्तुत किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु प्रत्येक को अब तक रू0 494.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। रू0 494.65 लाख की धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त भी हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण नही हुआ है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित अतिरिक्त धनराशि का व्यय बताते हुए आगणन को पुनरीक्षित कर उपलब्ध कराया गया है तथा अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने की मांग की गयी है। हेलीपोर्ट में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी आन्तरिक विकास हेतु भी धनराशि की आवश्यकता होगी, जिससे परियोजना के निर्माण लागत में बढ़ोत्तरी होगी।

9- उल्लेखनीय है कि जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के दृष्टिगत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हेलीपोर्ट के संचालन में प्रशिक्षित/विशेषज्ञ संस्थाओं की आवश्यकता होगी। हेलीपोर्ट का निर्माण एवं सुचारू रूप से संचालन क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों द्वारा कराया जाना पर्यटन की दृष्टिकोण से अत्यन्त लाभकारी होगा। इससे जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज के पर्यटकों को लाभ मिलेगा व पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए व्यवसायियों एवं सेवा प्रदाताओं का आर्थिक उन्नयन होगा। जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट के निर्माण व संचालन हेतु उक्त परियोजना को पी0पी0पी0 मोड (सार्वजनिक निजी सहभागिता) पर विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों को लीज पर विकसित कर संचालित किये जाने हेतु दिया जाना है।

10- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हैलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 19.04.2022 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट के निर्माण व संचालन हेतु उक्त परियोजना को पी0पी0पी0 मोड (सार्वजनिक निजी सहभागिता) पर विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों को लीज पर विकसित कर संचालित किये जाने हेतु दिया जाय।

(ख) प्रकरण में अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

11- जनपद आगरा, मथुरा तथा प्रयागराज में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट के निर्माण व संचालन हेतु उक्त परियोजना को पी0पी0पी0 मोड (सार्वजनिक निजी सहभागिता) पर विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों को लीज पर विकसित कर संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा :-

(क) पी0पी0पी0 गाइड लाइन्स के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लीज डीड विधायी विभाग से विधीक्षित कराकर मा0 मंत्रि-परिषद का आदेश प्राप्त किया जायेगा।

(ख) प्रकरण में प्रचलित/सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अधीन समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग) जनपद आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में हेलीकॉप्टर संचालन सेवा को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित किये जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-260/83-अव0-2018-34(अव0)/2013, दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पी0पी0पी0 गाइडलाइन्स-2016 (संशोधित) में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुपालन में किसी विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो।

12- अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0।
4. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   वित्त विभाग, न्याय विभाग, नियोजन विभाग, औद्योगिक विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0।
6. **मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
   आगरा, मथुरा व प्रयागराज।
7. **निजि सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यटन, उ0 प्र0 शासन।**
8. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक/ क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, पर्यटन आगरा मण्डल व प्रयागराज मण्डल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।